

भर्ती परीक्षा • 120 प्रश्न • 300 अंक

# यूपीएससी ईपीएफओ

प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

## सम्पूर्ण प्रश्न बैंक

परीक्षा प्रारूप पर आधारित 590 प्रश्न - विषयवार और प्रकरणवार अनुक्रमित।

- ✓ पाठ्यक्रम के सभी **10** विषय - सामान्य अंग्रेजी से भारत में सामाजिक सुरक्षा तक
- ✓ प्रत्येक प्रश्न पर स्थायी क्रमांक, व्याख्या पुस्तिका से पूर्णतः मेल खाता
- ✓ विधिक स्थिति 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त **चार श्रम संहिताओं** तक अद्यतन
- ✓ आरंभ में प्रकरणवार अनुक्रमणिका, अंत में सम्पूर्ण उत्तर कुंजी

590

प्रश्न

10

विषय

134

प्रकरण

2,360

व्याख्यायित विकल्प

## यह पुस्तक किस आधार पर बनी है

यूपीएससी ने ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के प्रश्नपत्रों का पूरा पाठ कभी प्रकाशित नहीं किया, और उत्तर कुंजी भी कुछ ही चक्रों की जारी हुई है। अतः शब्दशः "पिछले 15 वर्षों के प्रश्नपत्र" सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं हैं। जो उपलब्ध है वह है 2012, 2015, 2016, 2020 और 2023 के EO/AO चक्रों तथा समानांतर APFC प्रश्नपत्रों में दोहराया जाने वाला स्थिर प्रश्न-प्रारूप। यह बैंक उसी प्रारूप पर बना है - प्रत्येक प्रश्न वास्तविक पाठ्यक्रम पर, वास्तविक कठिनाई स्तर पर और वास्तविक प्रारूपों में लिखा गया है: एकल-तथ्य स्मरण, दो-कथन प्रश्न, सुमेलन, कालक्रम और लघु गणना।

जिन प्रश्नों का तथ्य या ढाँचा किसी विशिष्ट पुराने प्रश्नपत्र से विश्वसनीय रूप से जुड़ा है, उनके शीर्ष पर EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित) जैसा संकेत दिया गया है। शेष सभी अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित हैं। किसी भी प्रश्न को यूपीएससी प्रश्नपत्र की शब्दशः प्रतिकृति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी प्रतिकृति न अधिकृत है न उपलब्ध।

### प्रश्न शीर्ष कैसे पढ़ें

LL-018 मध्यम

EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

**LL-018** प्रश्न का स्थायी क्रमांक है। दो अक्षर विषय बताते हैं और संख्या उस विषय के भीतर क्रम। **चारों पुस्तकों में एक ही क्रमांक एक ही प्रश्न को दर्शाता है**, इसलिए पुस्तक 1 में प्रश्न हल करने के बाद आप सीधे पुस्तक 2 में LL-018 पर जा सकते हैं। क्रमांक के आगे कठिनाई स्तर है और दाईं ओर स्रोत संकेत।

### परीक्षा एक दृष्टि में

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पद          | प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय                                                                                                                                                |
| आयोजक निकाय | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)                                                                                                                                                                                                             |
| चरण 1       | भर्ती परीक्षा - 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 300 अंक, 2 घंटे, ऑफलाइन OMR                                                                                                                                                                   |
| अंकन        | प्रत्येक सही उत्तर पर 2.5 अंक; प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई ऋणात्मक अंकन (-0.83)                                                                                                                                                   |
| चरण 2       | साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण                                                                                                                                                                                                     |
| अंतिम मेरिट | भर्ती परीक्षा 75% + साक्षात्कार 25%                                                                                                                                                                                                  |
| माध्यम      | अंग्रेजी और हिन्दी                                                                                                                                                                                                                   |
| हाल के चक्र | EO/AO प्रश्नपत्र 2012, 2015, 2016, 2020 और 2 जुलाई 2023 को आयोजित हुए। APFC 2026 अधिसूचना (80 रिक्तियाँ) 19-21 अगस्त 2026 को जारी हुई और लिखित परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को नियत है; EO/AO चक्र का पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्र-रचना वही है। |

### इस बैंक की विषयवार संरचना

| कोड | विषय                                           | प्रश्न | प्रकरण | स / म / क    |
|-----|------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| EN  | सामान्य अंग्रेजी (General English)             | 60     | 13     | 18 / 30 / 12 |
| HS  | भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति एवं विरासत | 58     | 15     | 16 / 29 / 13 |
| CA  | समसामयिक घटनाएँ एवं विकास संबंधी मुद्दे        | 45     | 7      | 13 / 23 / 9  |
| PL  | भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन                    | 58     | 15     | 16 / 30 / 12 |
| EC  | भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास                  | 55     | 13     | 16 / 28 / 11 |
| AC  | सामान्य लेखांकन एवं अंकेक्षण सिद्धांत          | 58     | 14     | 16 / 29 / 13 |
| LL  | औद्योगिक संबंध एवं श्रम विधियाँ                | 70     | 14     | 19 / 37 / 14 |
| SS  | भारत में सामाजिक सुरक्षा                       | 70     | 12     | 20 / 36 / 14 |

|    |                                               |            |            |              |
|----|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| QA | मात्रात्मक अभिरुचि एवं सामान्य मानसिक योग्यता | 60         | 17         | 18 / 30 / 12 |
| GS | सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग        | 56         | 14         | 16 / 28 / 12 |
|    | <b>कुल</b>                                    | <b>590</b> | <b>134</b> |              |

### संक्रमणकालीन विधि के विषय में

चार श्रम संहिताएँ - वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 - सम्पूर्ण भारत में **21 नवंबर 2025** से प्रवृत्त हो गईं और इनमें 29 केंद्रीय श्रम अधिनियम समाहित हुए, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और कारखाना अधिनियम 1948 सम्मिलित हैं। केंद्र और राज्यों के नियम 2026 तक अंतिम रूप ले रहे थे। चूंकि परीक्षा इसी संक्रमण-काल में है, यह बैंक **दोनों** की परीक्षा लेता है - निरसित मूल अधिनियम (जिन पर प्रश्नपत्र सदैव आधारित रहे हैं और जो अवधारणाओं के स्रोत हैं) तथा तत्संबंधी संहिता उपबंध। जहाँ कोई उपबंध स्थानांतरित हुआ है, व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है।

दो आँकड़े स्मरण रखें, क्योंकि इन पर प्रायः भ्रम होता है: ईपीएफ की सांविधिक वेतन सीमा **₹ 15,000 ही है** (इसे ₹ 25,000 करने का प्रस्ताव अगस्त 2026 में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बताया गया, किंतु अधिसूचित नहीं हुआ), और ईपीएफ ब्याज दर **8.25%** है, जो 2024-25 के लिए घोषित और 2025-26 के लिए यथावत रखी गई।

### पुस्तक 1 का उपयोग कैसे करें

एक बार में एक प्रकरण, घड़ी लगाकर हल कीजिए - लगभग 50 सेकंड प्रति प्रश्न, जो 120 प्रश्न और 120 मिनट के प्रश्नपत्र की वास्तविक गति है। जिन प्रश्नों में अनुमान लगाया हो उन्हें चिह्नित कीजिए। इस पुस्तक के अंत में सभी 590 प्रश्नों की संक्षिप्त **उत्तर कुंजी** दी गई है; कारण पुस्तक 2 में हैं। संदिग्ध प्रश्न हल करने से पहले एक-तिहाई ऋणात्मक अंकन अवश्य ध्यान रखें - चार विकल्पों में अंधा अनुमान अधिक से अधिक तटस्थ ही रहता है।

## विषय-सूची

प्रत्येक अनुभाग के अंतर्गत सभी प्रकरण और वह पृष्ठ दिया गया है जहाँ से वह प्रकरण आरंभ होता है।

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EN • सामान्य अंग्रेजी (General English)</b>                                                               | <b>7</b>  |
| त्रुटि पहचान (Spotting Errors) .....                                                                         | 7         |
| वाक्य सुधार (Sentence Improvement) .....                                                                     | 8         |
| रिक्त स्थान पूर्ति - व्याकरण (Fill in the Blanks - Grammar) .....                                            | 9         |
| कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य (Active and Passive Voice) .....                                                    | 10        |
| प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन (Direct and Indirect Speech) .....                                              | 11        |
| वाक्य पुनर्व्यवस्थापन / अनुच्छेद क्रम (Sentence Rearrangement / Para Jumbles) .....                          | 11        |
| वर्तनी एवं भ्रामक शब्द (Spelling and Confusable Words) .....                                                 | 12        |
| पर्यायवाची शब्द (Synonyms) .....                                                                             | 13        |
| विलोम शब्द (Antonyms) .....                                                                                  | 14        |
| मुहावरे एवं वाक्यांश (Idioms and Phrases) .....                                                              | 15        |
| एक शब्द प्रतिस्थापन (One-Word Substitution) .....                                                            | 16        |
| रिक्त स्थान पूर्ति (Cloze Test) .....                                                                        | 17        |
| अपठित गद्यांश (Reading Comprehension) .....                                                                  | 18        |
| <b>HS • भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति एवं विरासत</b>                                                   | <b>21</b> |
| ब्रिटिश विस्तार एवं आरंभिक प्रतिरोध (British Expansion and Early Resistance) .....                           | 21        |
| 1857 का विद्रोह (Revolt of 1857) .....                                                                       | 22        |
| सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (Socio-Religious Reform Movements) .....                                        | 23        |
| भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885-1905) .....                                      | 23        |
| स्वदेशी और बंगाल का विभाजन (Swadeshi and Partition of Bengal) .....                                          | 24        |
| उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद (Moderates, Extremists and Revolutionary Nationalism) .....     | 25        |
| संवैधानिक सुधार 1861-1919 (Constitutional Reforms 1861-1919) .....                                           | 26        |
| गांधी युग - असहयोग एवं खिलाफत (Non-Cooperation and Khilafat) .....                                           | 27        |
| सविनय अवज्ञा एवं गोलमेज सम्मेलन (Civil Disobedience and Round Table Conferences) .....                       | 27        |
| भारत शासन अधिनियम, 1935 एवं प्रांतीय स्वायत्तता (Government of India Act 1935 and Provincial Autonomy) ..... | 28        |
| भारत छोड़ो आंदोलन एवं आजाद हिंद फौज (Quit India Movement and INA) .....                                      | 29        |
| स्वतंत्रता की ओर एवं विभाजन (1945-47) .....                                                                  | 30        |
| स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिक एवं किसान आंदोलन .....                                                         | 30        |
| भारतीय कला, स्थापत्य एवं विरासत .....                                                                        | 31        |
| भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत एवं त्योहार .....                                                              | 32        |
| <b>CA • समसामयिक घटनाएँ एवं विकास संबंधी मुद्दे</b>                                                          | <b>33</b> |
| समाचारों में श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा .....                                                                  | 33        |
| सरकारी योजनाएँ एवं पहल .....                                                                                 | 35        |
| समाचारों में भारतीय अर्थव्यवस्था .....                                                                       | 36        |
| समाचारों में राजव्यवस्था एवं शासन .....                                                                      | 37        |
| अंतर्राष्ट्रीय मामले एवं संगठन .....                                                                         | 38        |
| समाचारों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण .....                                                        | 39        |
| पुरस्कार, खेल, रिपोर्ट एवं सूचकांक .....                                                                     | 40        |
| <b>PL • भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन</b>                                                                      | <b>42</b> |
| संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा (Making of the Constitution and Constituent Assembly) .....               | 42        |
| उद्देशिका एवं संविधान की मुख्य विशेषताएँ (Preamble and Salient Features) .....                               | 43        |
| मूल अधिकार (Fundamental Rights) .....                                                                        | 44        |
| राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) .....                                     | 45        |
| मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) .....                                                                       | 46        |
| नागरिकता तथा संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Citizenship and Union and its Territory) .....                        | 46        |
| संविधान संशोधन एवं आधारभूत संरचना (Amendment of the Constitution and Basic Structure) .....                  | 47        |
| राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संघ कार्यपालिका .....                                                           | 48        |
| संसद - संरचना, सत्र एवं प्रक्रिया .....                                                                      | 48        |
| विधायन, धन विधेयक एवं बजट प्रक्रिया .....                                                                    | 49        |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन ..... | 50 |
| केंद्र-राज्य संबंध एवं संघवाद .....                           | 51 |
| पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय शासन .....                      | 51 |
| संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय .....                            | 52 |
| आपात उपबंध .....                                              | 52 |

## EC • भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास 53

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक संकल्पनाएँ (National Income and Economic Concepts) ..... | 53 |
| मुद्रा, बैंकिंग एवं भारतीय रिजर्व बैंक (Money, Banking and RBI) .....            | 54 |
| मौद्रिक नीति के उपकरण (Monetary Policy Instruments) .....                        | 55 |
| मुद्रास्फीति एवं मूल्य सूचकांक (Inflation and Price Indices) .....               | 56 |
| लोक वित्त, बजट एवं कराधान (Public Finance, Budget and Taxation) .....            | 56 |
| वस्तु एवं सेवा कर तथा राजकोषीय संघवाद (GST and Fiscal Federalism) .....          | 57 |
| नियोजन, नीति आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ .....                                    | 58 |
| रोजगार, बेरोजगारी एवं श्रम बल सांख्यिकी .....                                    | 59 |
| गरीबी, असमानता एवं मानव विकास .....                                              | 60 |
| कृषि एवं ग्रामीण विकास .....                                                     | 61 |
| उद्योग, एमएसएमई एवं औद्योगिक नीति .....                                          | 61 |
| बाह्य क्षेत्र, भुगतान संतुलन एवं विदेश व्यापार .....                             | 62 |
| वित्तीय बाजार एवं विनियामक .....                                                 | 63 |

## AC • सामान्य लेखांकन एवं अंकेक्षण सिद्धांत 64

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| लेखांकन संकल्पनाएँ एवं परिपाटियाँ (Accounting Concepts and Conventions) ..... | 64 |
| लेखांकन मानक एवं Ind AS (Accounting Standards and Ind AS) .....               | 65 |
| रोजनामचा, खाता-बही एवं तलपट (Journal, Ledger and Trial Balance) .....         | 66 |
| सहायक बहियाँ एवं बैंक समाधान (Subsidiary Books and Bank Reconciliation) ..... | 67 |
| पूँजीगत एवं आयगत व्यय (Capital and Revenue Expenditure) .....                 | 68 |
| अंतिम खाते एवं समायोजन (Final Accounts and Adjustments) .....                 | 68 |
| त्रुटियों का शुद्धिकरण (Rectification of Errors) .....                        | 69 |
| मूल्यह्रास लेखांकन (Depreciation Accounting) .....                            | 70 |
| अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis) .....                                        | 70 |
| रोकड़ प्रवाह एवं कोष प्रवाह विवरण (Cash Flow and Fund Flow Statements) .....  | 71 |
| लागत लेखांकन की मूल बातें (Cost Accounting Basics) .....                      | 72 |
| कंपनी लेखे - अंश एवं ऋणपत्र (Company Accounts - Shares and Debentures) .....  | 72 |
| अंकेक्षण के सिद्धांत एवं प्रकार (Principles and Types of Audit) .....         | 73 |
| सरकारी लेखांकन एवं लेखापरीक्षा (Government Accounting and Audit - CAG) .....  | 74 |

## LL • औद्योगिक संबंध एवं श्रम विधियाँ 75

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) .....                                          | 75 |
| ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) .....                                                   | 77 |
| औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) .....       | 78 |
| औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) .....                                         | 79 |
| मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) .....                                                             | 80 |
| न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) .....                                                | 81 |
| कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) .....                                                           | 82 |
| व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH and Working Conditions Code, 2020) .....      | 83 |
| संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970) ..... | 84 |
| मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) .....                                               | 85 |
| बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965) .....                                                 | 86 |
| उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) .....                                             | 87 |
| प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) .....                                         | 88 |
| बाल एवं किशोर श्रम तथा बंधित श्रम (Child and Adolescent Labour and Bonded Labour) .....                     | 89 |

## SS • भारत में सामाजिक सुरक्षा 90

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 - विस्तार एवं परिभाषाएँ ..... | 90 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 .....                                              | 92 |

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995.....                                                                                    | 93  |
| कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976.....                                                                          | 95  |
| ईपीएफओ का संगठन एवं प्रशासन.....                                                                                   | 95  |
| ईपीएफ अनुपालन, निरीक्षण एवं शास्त्रियाँ.....                                                                       | 96  |
| कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948).....                                      | 97  |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020).....                                                  | 98  |
| कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (Employees' Compensation Act, 1923).....                                            | 100 |
| असंगठित एवं गिग कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा (Unorganised and Gig Workers' Social Security).....                    | 101 |
| राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएँ (National Social Security and Pension Schemes).....                    | 102 |
| सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाएँ एवं अंतराष्ट्रीय ढाँचा (Concepts and International Framework of Social Security)..... | 103 |

## QA • मात्रात्मक अभिरुचि एवं सामान्य मानसिक योग्यता

105

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| संख्या पद्धति एवं सरलीकरण (Number System and Simplification).....               | 105 |
| प्रतिशत, लाभ एवं हानि (Percentage, Profit and Loss).....                        | 106 |
| अनुपात, समानुपात एवं साझेदारी (Ratio, Proportion and Partnership).....          | 107 |
| औसत, मिश्रण एवं मिश्रानुपात (Average, Mixture and Alligation).....              | 107 |
| साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज (Simple and Compound Interest).....           | 108 |
| समय, कार्य, चाल एवं दूरी (Time, Work, Speed and Distance).....                  | 108 |
| आँकड़ा निर्वचन (Data Interpretation).....                                       | 109 |
| क्षेत्रमिति एवं बीजगणित (Mensuration and Algebra).....                          | 110 |
| कूट भाषा (Coding-Decoding).....                                                 | 110 |
| श्रृंखला पूर्ति - संख्या एवं अक्षर (Series Completion - Number and Letter)..... | 111 |
| रक्त संबंध (Blood Relations).....                                               | 112 |
| दिशा ज्ञान (Direction Sense).....                                               | 112 |
| न्यायनिगमन (Syllogism).....                                                     | 113 |
| बैठक व्यवस्था एवं पहेलियाँ (Seating Arrangement and Puzzles).....               | 114 |
| सादृश्यता एवं वर्गीकरण (Analogy and Classification).....                        | 114 |
| कथन एवं निष्कर्ष / पूर्वधारणा (Statement and Conclusion / Assumption).....      | 115 |
| घड़ी, कैलेंडर एवं घन (Clocks, Calendars and Cubes).....                         | 116 |

## GS • सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग

117

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भौतिकी - यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि (Physics - Mechanics, Heat, Light and Sound).....                   | 117 |
| भौतिकी - विद्युत एवं आधुनिक भौतिकी (Physics - Electricity and Modern Physics).....                              | 118 |
| रसायन विज्ञान - मूल संकल्पनाएँ एवं आवर्त सारणी (Chemistry - Basic Concepts and Periodic Table).....             | 119 |
| रसायन विज्ञान - दैनिक जीवन का रसायन एवं पदार्थ (Chemistry - Everyday Chemistry and Materials).....              | 119 |
| जीव विज्ञान - मानव शरीर क्रिया विज्ञान एवं पोषण (Biology - Human Physiology and Nutrition).....                 | 120 |
| जीव विज्ञान - रोग, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य (Biology - Diseases, Health and Occupational Health)..... | 121 |
| पर्यावरण एवं समसामयिक संदर्भ में विज्ञान (Environment and Science in Current Context).....                      | 122 |
| कंप्यूटर के मूल तत्व एवं हार्डवेयर (Computer Fundamentals and Hardware).....                                    | 122 |
| प्रचालन तंत्र एवं सॉफ्टवेयर (Operating Systems and Software).....                                               | 123 |
| MS Office - Word, Excel तथा PowerPoint.....                                                                     | 123 |
| जालक्रम एवं इंटरनेट (Networking and Internet).....                                                              | 124 |
| डेटाबेस एवं आँकड़ा संकल्पनाएँ (Database and Data Concepts).....                                                 | 125 |
| साइबर सुरक्षा एवं IT अधिनियम (Cyber Security and IT Act).....                                                   | 126 |
| ई-शासन एवं डिजिटल इंडिया (e-Governance and Digital India).....                                                  | 126 |

## अनुभाग EN

## सामान्य अंग्रेजी (General English)

60 प्रश्न | 13 प्रकरण | EN-001 - EN-060

## इस अनुभाग के प्रकरण

|                                                                               |                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| त्रुटि पहचान (Spotting Errors)                                                | EN-001 - EN-006 | 6 |
| वाक्य सुधार (Sentence Improvement)                                            | EN-007 - EN-011 | 5 |
| रिक्त स्थान पूर्ति - व्याकरण (Fill in the Blanks - Grammar)                   | EN-012 - EN-015 | 4 |
| कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य (Active and Passive Voice)                           | EN-016 - EN-018 | 3 |
| प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन (Direct and Indirect Speech)                     | EN-019 - EN-021 | 3 |
| वाक्य पुनर्व्यवस्थापन / अनुच्छेद क्रम (Sentence Rearrangement / Para Jumbles) | EN-022 - EN-025 | 4 |
| वर्तनी एवं भ्रामक शब्द (Spelling and Confusable Words)                        | EN-026 - EN-030 | 5 |
| पर्यायवाची शब्द (Synonyms)                                                    | EN-031 - EN-035 | 5 |
| विलोम शब्द (Antonyms)                                                         | EN-036 - EN-040 | 5 |
| मुहावरे एवं वाक्यांश (Idioms and Phrases)                                     | EN-041 - EN-046 | 6 |
| एक शब्द प्रतिस्थापन (One-Word Substitution)                                   | EN-047 - EN-051 | 5 |
| रिक्त स्थान पूर्ति (Cloze Test)                                               | EN-052 - EN-055 | 4 |
| अपठित गद्यांश (Reading Comprehension)                                         | EN-056 - EN-060 | 5 |

## त्रुटि पहचान (Spotting Errors) 6 प्रश्न

EN-001 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) One of the most important factors (B) that have contributed to the delay (C) are the shortage of trained staff.

- (A) One of the most important factors  
 (B) that have contributed to the delay  
 (C) are the shortage of trained staff  
 (D) No error

EN-002 सरल

EO/AO 2020 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) The committee comprises of (B) five members drawn from (C) three different departments.

- (A) The committee comprises of  
 (B) five members drawn from  
 (C) three different departments  
 (D) No error

EN-003 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) Hardly had he entered the hall (B) than the audience stood up (C) to greet him.

- (A) Hardly had he entered the hall
- (B) than the audience stood up
- (C) to greet him
- (D) No error

EN-004 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) There is no difference (B) between you and I (C) on this issue.

- (A) There is no difference
- (B) between you and I
- (C) on this issue
- (D) No error

EN-005 सरल

EO/AO 2016 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) He is more cleverer (B) than any other boy (C) in his class.

- (A) He is more cleverer
- (B) than any other boy
- (C) in his class
- (D) No error

EN-006 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) Each of the applicants (B) has been asked to submit (C) his documents by Friday.

- (A) Each of the applicants
- (B) has been asked to submit
- (C) his documents by Friday
- (D) No error

### वाक्य सुधार (Sentence Improvement) 5 प्रश्न

EN-007 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कोष्ठक में दिए गए भाग का सर्वोत्तम सुधार करने वाला विकल्प चुनिए / Select the alternative that best improves the bracketed part: Having finished the audit report, [the file was submitted to the Commissioner].

- (A) the file had been submitted to the Commissioner
- (B) the file got submitted to the Commissioner
- (C) the officer submitted the file to the Commissioner
- (D) No improvement required

EN-008 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कोष्ठक में दिए गए भाग का सर्वोत्तम सुधार करने वाला विकल्प चुनिए / Select the alternative that best improves the bracketed part: After three months in the new posting, he [is used to get up] at five in the morning.

- (A) is use to get up
- (B) used to get up
- (C) is using to get up
- (D) is used to getting up

EN-009 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कोष्ठक में दिए गए भाग का सर्वोत्तम सुधार करने वाला विकल्प चुनिए / Select the alternative that best improves the bracketed part: If I [would have known] about the notification earlier, I would have applied for the post.

- (A) have known
- (B) had known
- (C) would know
- (D) No improvement required

EN-010 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कोष्ठक में दिए गए भाग का सर्वोत्तम सुधार करने वाला विकल्प चुनिए / Select the alternative that best improves the bracketed part: The Enforcement Officer, as well as his two assistants, [were] praised for the recovery drive.

- (A) have been
- (B) are
- (C) was
- (D) No improvement required

EN-011 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कोष्ठक में दिए गए भाग का सर्वोत्तम सुधार करने वाला विकल्प चुनिए / Select the alternative that best improves the bracketed part: He has been working in this regional office [since] five years.

- (A) from
- (B) during
- (C) for
- (D) No improvement required

### रिक्त स्थान पूर्ति - व्याकरण (Fill in the Blanks - Grammar) 4 प्रश्न

EN-012 मध्यम

EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

रिक्त स्थानों को सही आर्टिकल (articles) से भरिए / Fill in the blanks with the correct articles: \_\_\_ European delegate placed \_\_\_ one-page summary before the committee.

- (A) An / an
- (B) A / an
- (C) A / a
- (D) The / an

## अनुभाग LL

## औद्योगिक संबंध एवं श्रम विधियाँ

70 प्रश्न | 14 प्रकरण | LL-001 - LL-070

## इस अनुभाग के प्रकरण

|                                                                                                       |                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)                                          | LL-001 - LL-008 | 8 |
| ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926)                                                   | LL-009 - LL-014 | 6 |
| औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946)       | LL-015 - LL-018 | 4 |
| औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)                                         | LL-019 - LL-026 | 8 |
| मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)                                                             | LL-027 - LL-031 | 5 |
| न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948)                                                | LL-032 - LL-035 | 4 |
| कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948)                                                           | LL-036 - LL-041 | 6 |
| व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH and Working Conditions Code, 2020)      | LL-042 - LL-046 | 5 |
| संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970) | LL-047 - LL-050 | 4 |
| मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936)                                               | LL-051 - LL-053 | 3 |
| बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965)                                                 | LL-054 - LL-058 | 5 |
| उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972)                                             | LL-059 - LL-063 | 5 |
| प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)                                         | LL-064 - LL-067 | 4 |
| बाल एवं किशोर श्रम तथा बंधित श्रम (Child and Adolescent Labour and Bonded Labour)                     | LL-068 - LL-070 | 3 |

## औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) 8 प्रश्न

## LL-001 सरल

EO/AO 2020 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

बैंगलोर वाटर सप्लाय एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा (1978) में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 2(j) के अधीन उद्योग (industry) क्या है, यह तय करने के लिए एक त्रि-परीक्षण (triple test) प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा उस परीक्षण का भाग नहीं है?

- (A) व्यवस्थित या संगठित क्रियाकलाप
- (B) नियोजक और कर्मचारियों के बीच सहयोग
- (C) मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिकल्पित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण
- (D) लाभ का उद्देश्य अथवा पूंजी का विनियोजन होना

## LL-002 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 25F के अधीन छँटनी (retrenchment) की पूर्ववर्ती शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कर्मकार को छँटनी के कारण बताते हुए एक मास की लिखित सूचना दी जानी चाहिए, अथवा ऐसी सूचना के बदले मजदूरी दी जानी चाहिए। 2. कर्मकार को निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास के औसत वेतन के बराबर प्रतिकर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

LL-003 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 25B के अधीन, खान में भूमिगत नियोजित कर्मकार से भिन्न कोई कर्मकार एक वर्ष की निरंतर सेवा में तब समझा जाता है जब उसने पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मासों में नियोजक के अधीन कम से कम कितने दिन वास्तविक रूप से कार्य किया हो?

- (A) 180 दिन
- (B) 190 दिन
- (C) 240 दिन
- (D) 300 दिन

LL-004 मध्यम

EO/AO 2016 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 22 के अधीन, किसी लोक उपयोगिता सेवा (public utility service) में नियोजित कोई व्यक्ति संविदा भंग करते हुए हड़ताल पर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह हड़ताल से कितने सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना न दे दे?

- (A) दो सप्ताह
- (B) चार सप्ताह
- (C) छह सप्ताह
- (D) आठ सप्ताह

LL-005 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची-I (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन प्राधिकारी): (a) कार्य समिति (Works Committee) (b) सुलह अधिकारी (Conciliation Officers) (c) सुलह बोर्ड (Board of Conciliation) (d) जाँच न्यायालय (Court of Inquiry). सूची-II (धारा): 1. धारा 4 2. धारा 6 3. धारा 3 4. धारा 5

- (A) (a)-3, (b)-1, (c)-4, (d)-2
- (B) (a)-3, (b)-4, (c)-1, (d)-2
- (C) (a)-1, (b)-3, (c)-2, (d)-4
- (D) (a)-4, (b)-1, (c)-3, (d)-2

LL-006 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) के अध्याय 5ख (Chapter VB) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह ऐसे गैर-मौसमी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों में प्रति कार्य दिवस औसतन कम से कम एक सौ कर्मकार नियोजित रहे हों। 2. धारा 25N के अधीन ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मकार की छुट्टी तीन मास की सूचना या उसके बदले मजदूरी तथा समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

LL-007 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 2A यह उपबंध करती है कि -

- (A) कर्मकारों के समूह द्वारा उठाया गया मजदूरी संबंधी कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद है, चाहे नियोजक दायित्व से इनकार करे
- (B) किसी व्यक्ति कर्मकार की सेवा से हटाए जाने, पदच्युति, छुट्टी या सेवा-समाप्ति से संबंधित विवाद औद्योगिक विवाद समझा जाता है, भले ही कोई अन्य कर्मकार या संघ उसका पक्षकार न हो
- (C) कोई व्यक्ति कर्मकार सुलह के बिना सीधे औद्योगिक अधिकरण के समक्ष बोनस का दावा कर सकता है
- (D) अवचार के लिए पदच्युत किए गए कर्मकार को उसके विवाद के न्यायनिर्णयन तक बहाल किया जाना चाहिए

LL-008 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची-I (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन परिभाषा): (a) ले-ऑफ (lay-off) (b) छँटनी (retrenchment) (c) तालाबंदी (lock-out) (d) बंदी (closure). सूची-II (खंड): 1. धारा 2(cc) 2. धारा 2(l) 3. धारा 2(kkk) 4. धारा 2(oo)

- (A) (a)-4, (b)-3, (c)-2, (d)-1  
 (B) (a)-3, (b)-4, (c)-1, (d)-2  
 (C) (a)-3, (b)-4, (c)-2, (d)-1  
 (D) (a)-4, (b)-3, (c)-1, (d)-2

### ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) 6 प्रश्न

LL-009 सरल

EO/AO 2015 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) के अधीन कर्मकारों की किसी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कोई सात या अधिक सदस्य कर सकते हैं, बशर्ते कि यूनियन के सदस्यों की संख्या कम से कम हो -

- (A) कर्मकारों का 10%, अथवा 100 कर्मकार, इनमें से जो अधिक हो  
 (B) कर्मकारों का 10%, अथवा 100 कर्मकार, इनमें से जो कम हो  
 (C) कर्मकारों का 25%, अथवा 50 कर्मकार, इनमें से जो कम हो  
 (D) सभी मामलों में कुल सात कर्मकार, कोई अन्य सदस्यता अपेक्षा नहीं

LL-010 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) की धारा 22 के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के ऐसे पदाधिकारियों की संख्या, जो उस प्रतिष्ठान या उद्योग में वास्तविक रूप से लगे या नियोजित नहीं हैं जिससे यूनियन संबंधित है, इससे अधिक नहीं हो सकती -

- (A) पदाधिकारियों की कुल संख्या का आधा  
 (B) पदाधिकारियों की कुल संख्या का एक-तिहाई, अथवा पाँच, इनमें से जो कम हो  
 (C) पदाधिकारियों की कुल संख्या का एक-तिहाई, अथवा पाँच, इनमें से जो अधिक हो  
 (D) प्रत्येक दशा में दो पदाधिकारी

LL-011 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) द्वारा प्रदत्त उन्मुक्तियों (immunities) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 17 धारा 15 में सूचीबद्ध किसी विधिपूर्ण उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए सदस्यों के बीच हुए करारों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अधीन आपराधिक षड्यंत्र के दंड से उन्मुक्ति देती है। 2. धारा 18 के अधीन सिविल उन्मुक्ति रजिस्ट्रीकृत तथा अरजिस्ट्रीकृत दोनों प्रकार की ट्रेड यूनियनों तक विस्तारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1  
 (B) केवल 2  
 (C) 1 और 2 दोनों  
 (D) न तो 1 और न ही 2

LL-012 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) की धारा 16 के अधीन राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) यूनियन का प्रत्येक सदस्य राजनीतिक निधि में अंशदान देने के लिए आबद्ध है  
 (B) राजनीतिक निधि में अंशदान को यूनियन में प्रवेश की शर्त नहीं बनाया जा सकता  
 (C) राजनीतिक निधि का गठन केवल साधारण निधि से अंतरण द्वारा ही किया जा सकता है  
 (D) किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन को राजनीतिक उद्देश्यों पर कोई भी धन व्यय करने से प्रतिषिद्ध किया गया है

## LL-013 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची-I (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 का उपबंध): (a) कोई सात या अधिक सदस्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं (b) रजिस्ट्रीकरण से इनकार या उसके प्रत्याहरण के विरुद्ध अपील (c) वे उद्देश्य जिन पर साधारण निधि व्यय की जा सकती है (d) राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक निधि का गठन। सूची-II (धारा): 1. धारा 11 2. धारा 16 3. धारा 4 4. धारा 15

- (A) (a)-3, (b)-1, (c)-2, (d)-4  
 (B) (a)-3, (b)-1, (c)-4, (d)-2  
 (C) (a)-4, (b)-2, (c)-3, (d)-1  
 (D) (a)-4, (b)-1, (c)-3, (d)-2

## LL-014 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) किस तारीख से प्रवृत्त हुआ?

- (A) 1 अप्रैल 1926  
 (B) 15 मार्च 1948  
 (C) 1 अप्रैल 1947  
 (D) 1 जून 1927

### औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946)

4 प्रश्न

## LL-015 सरल

EO/AO 2012 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें कितने कर्मकार नियोजित हैं, अथवा पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी दिन नियोजित थे?

- (A) पचास या अधिक  
 (B) एक सौ या अधिक  
 (C) दो सौ या अधिक  
 (D) तीन सौ या अधिक

## LL-016 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) के अधीन प्रमाणन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किन्हीं स्थायी आदेशों के उपबंधों की न्यायसंगतता या युक्तियुक्तता पर न्यायनिर्णयन करना प्रमाणकर्ता अधिकारी (Certifying Officer) का कृत्य है। 2. प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1  
 (B) केवल 2  
 (C) 1 और 2 दोनों  
 (D) न तो 1 और न ही 2

## LL-017 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) की धारा 10A के अधीन, विभागीय जाँच (domestic inquiry) लंबित रहने के दौरान निलंबित किया गया कर्मकार निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) किस दर से पाने का हकदार है?

- (A) पहले नब्बे दिनों के लिए मजदूरी का पचास प्रतिशत और शेष अवधि के लिए पचहत्तर प्रतिशत  
 (B) निलंबन की पूरी अवधि में मजदूरी का पचास प्रतिशत  
 (C) पहले नब्बे दिनों के लिए मजदूरी का पचहत्तर प्रतिशत और उसके पश्चात पचास प्रतिशत  
 (D) पहले तीस दिनों के लिए पूरी मजदूरी और उसके पश्चात पचास प्रतिशत

LL-018 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) की अनुसूची में उपबंधित किया जाना अपेक्षित नहीं है?

- (A) कर्मकारों का स्थायी, अस्थायी, शिक्षा, परीक्षाधीन या बदली के रूप में वर्गीकरण
- (B) वे कार्य और लोप जो अवचार (misconduct) की कोटि में आते हैं, तथा अवचार के लिए निलंबन या पदच्युति
- (C) कर्मकारों के प्रत्येक वर्ग को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियतन
- (D) नियोजक द्वारा अनुचित व्यवहार या अनुचित वसूली के विरुद्ध कर्मकारों के लिए प्रतिरोध के उपाय

### औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) 8 प्रश्न

LL-019 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

21 नवंबर 2025 को पूरे भारत में प्रवृत्त की गई औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) निम्नलिखित में से विधियों के किस समूह को समाहित करती है?

- (A) ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
- (B) ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
- (C) मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
- (D) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926

LL-020 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के अधीन स्थायी आदेशों से संबंधित उपबंध प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें कम से कम कितने कर्मकार नियोजित हों?

- (A) एक सौ कर्मकार
- (B) दो सौ कर्मकार
- (C) तीन सौ कर्मकार
- (D) पाँच सौ कर्मकार

LL-021 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के अधीन परक्राम्य यूनियनों (negotiating unions) की मान्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जहाँ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में केवल एक ही ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रीकृत है, वहाँ नियोजक उसे एकमात्र परक्राम्य यूनियन के रूप में तभी मान्यता देगा जब उसकी सदस्यता इक्यावन प्रतिशत हो। 2. जहाँ एक से अधिक यूनियन विद्यमान हैं, वहाँ जिस यूनियन के सदस्य हाजिरी-पंजी (muster roll) पर के इक्यावन प्रतिशत या अधिक कर्मकार हों, उसे एकमात्र परक्राम्य यूनियन के रूप में मान्यता दी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

LL-022 सरल

EO/AO 2023 में पृष्ठा गया (स्मृति आधारित)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) की धारा 62 के अधीन हड़ताल की सूचना कब दी जानी अपेक्षित है?

- (A) केवल लोक उपयोगिता सेवाओं में, हड़ताल से छह सप्ताह पूर्व
- (B) प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में, हड़ताल से चौदह दिन पूर्व
- (C) केवल लोक उपयोगिता सेवाओं में, हड़ताल से चौदह दिन पूर्व
- (D) प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में, हड़ताल से इक्कीस दिन पूर्व

## अनुभाग SS

## भारत में सामाजिक सुरक्षा

70 प्रश्न | 12 प्रकरण | SS-001 - SS-070

## इस अनुभाग के प्रकरण

|                                                                                                                 |                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 - विस्तार एवं परिभाषाएँ                                   | SS-001 - SS-007 | 7 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952                                                                                | SS-008 - SS-015 | 8 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995                                                                                      | SS-016 - SS-023 | 8 |
| कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976                                                                            | SS-024 - SS-027 | 4 |
| ईपीएफओ का संगठन एवं प्रशासन                                                                                     | SS-028 - SS-032 | 5 |
| ईपीएफ अनुपालन, निरीक्षण एवं शास्तियाँ                                                                           | SS-033 - SS-035 | 3 |
| कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948)                                        | SS-036 - SS-042 | 7 |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)                                                    | SS-043 - SS-050 | 8 |
| कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (Employees' Compensation Act, 1923)                                              | SS-051 - SS-053 | 3 |
| असंगठित एवं गिग कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा (Unorganised and Gig Workers' Social Security)                      | SS-054 - SS-058 | 5 |
| राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएँ (National Social Security and Pension Schemes)                      | SS-059 - SS-064 | 6 |
| सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाएँ एवं अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा (Concepts and International Framework of Social Security) | SS-065 - SS-070 | 6 |

## कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 - विस्तार एवं परिभाषाएँ 7 प्रश्न

## SS-001 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) (1952 का अधिनियम 19) को राष्ट्रपति की अनुमति किस तिथि को प्राप्त हुई थी?

- (A) 15 नवंबर 1951
- (B) 4 मार्च 1952
- (C) 1 नवंबर 1952
- (D) 16 नवंबर 1995

## SS-002 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF and MP Act, 1952) की धारा 1(4) के अधीन, 20 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान (establishment) को स्वेच्छया इस अधिनियम के अधीन कौन ला सकता है?

- (A) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की सिफारिश पर
- (B) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional Provident Fund Commissioner), केवल नियोजक के आवेदन पर
- (C) केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees), अपनी बैठक में पारित संकल्प द्वारा
- (D) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Central Provident Fund Commissioner), नियोजक तथा कर्मचारियों के बहुमत के संयुक्त आवेदन पर

## SS-003 मध्यम

EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF and MP Act, 1952) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक बार अधिनियम किसी प्रतिष्ठान पर लागू हो जाने पर वह लागू बना रहता है, भले ही कर्मचारियों की संख्या बाद में बीस से नीचे गिर जाए। 2. यह अधिनियम पचास से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली और शक्ति की सहायता के बिना कार्य करने वाली सहकारी समिति पर लागू नहीं होता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

## SS-004 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2(ख) (Section 2(b)) में दी गई 'मूल मजदूरी' (basic wages) की परिभाषा से निम्नलिखित में से कौन-सा अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित नहीं है?

- (A) किसी खाद्य रियायत का नकद मूल्य
- (B) मकान किराया भत्ता (house rent allowance)
- (C) अधिसमय भत्ता (overtime allowance)
- (D) प्रतिधारण भत्ता (retaining allowance)

## SS-005 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

आरपीएफसी (द्वितीय), पश्चिम बंगाल बनाम विवेकानंद विद्यामंदिर तथा सूर्य रोशनी लिमिटेड बनाम ईपीएफओ (2019) [RPFC (II), West Bengal v. Vivekananda Vidyamandir and Surya Roshni Ltd v. EPFO (2019)] में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित करने के लिए कौन-सी कसौटी निर्धारित की कि कोई विशेष भत्ता मूल मजदूरी का भाग है या नहीं?

- (A) क्या वह भत्ता कर्मचारी को संदत्त कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक है
- (B) क्या वह भत्ता रु 15,000 की सांविधिक सीमा से नीचे मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है
- (C) क्या वह भत्ता मजदूरी पर्वी और नियुक्ति पत्र में पृथक् रूप से दर्शाया गया है
- (D) क्या वह भत्ता सार्वभौमिक रूप से, अनिवार्यतः और मामूली तौर पर सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाता है

## SS-006 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2(च) (Section 2(f)) में 'कर्मचारी' (employee) की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जो प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके संबंध में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित है। 2. यह प्रत्येक शिक्षु (apprentice) को अपवर्जित करती है, चाहे वह शिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentices Act, 1961) के अधीन लगा हो या प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों के अधीन। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

## SS-007 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6 अधिसूचना द्वारा वृद्धि से पूर्व नियोजक के अंशदान की सांविधिक दर किस अंक पर नियत करती है?

- (A) 8.33 प्रतिशत
- (B) 10 प्रतिशत
- (C) 12 प्रतिशत
- (D) 6.25 प्रतिशत

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952** 8 प्रश्न**SS-008** सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (Employees' Provident Funds Scheme, 1952) अधिनियम की धारा 6 के अधीन बनाई गई है। 2. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976) अधिनियम की धारा 6C (Section 6C) के अधीन बनाई गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

**SS-009** मध्यम

EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

कोई कर्मचारी प्रति माह रु 25,000 की मूल मजदूरी तथा महँगाई भत्ता प्राप्त करता है और नियोजक वास्तविक मजदूरी पर अंशदान करता है। उस माह के लिए नियोजक के अंश में से कितनी राशि भविष्य निधि खाते में जाएगी?

- (A) रु 917.50
- (B) रु 1,250
- (C) रु 1,750
- (D) रु 2,082.50

**SS-010** सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि संचय पर ब्याज की दर किस दर पर बनाए रखी गई थी, और उसकी सिफारिश किस निकाय द्वारा की गई थी?

- (A) 8.15 प्रतिशत, वित्त मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई
- (B) 8.65 प्रतिशत, केंद्रीय बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा सिफारिश की गई
- (C) 8.50 प्रतिशत, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सिफारिश की गई
- (D) 8.25 प्रतिशत, केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई

**SS-011** मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

किसी कार्यशील आच्छादित प्रतिष्ठान की एक माह की कुल ईपीएफ मजदूरी रु 60,000 है। उस माह के लिए नियोजक द्वारा संदेय प्रशासनिक प्रभार कितने होंगे?

- (A) रु 75
- (B) रु 300
- (C) रु 500
- (D) रु 600

**SS-012** मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

ईपीएफओ की डिजिटल अनुपालन संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सार्वत्रिक खाता संख्या (Universal Account Number) दस अंकों की संख्या है जो सदस्य द्वारा नियोजन बदलने पर प्रत्येक नियोजक द्वारा नए सिरे से आवंटित की जाती है। 2. इलेक्ट्रॉनिक चालान सह विवरणी (Electronic Challan cum Return) नियोजकों द्वारा फॉर्म 6क में फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

**SS-013** सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन निम्नलिखित में से कौन-सा फॉर्म सही सुमेलित है?

- (A) फॉर्म 13 - नियोजन बदलने पर भविष्य निधि खाते का अंतरण
- (B) फॉर्म 10ग - अधिवर्षिता के पश्चात् मासिक पेंशन के लिए दावा
- (C) फॉर्म 2 - नियोजन बदलने पर भविष्य निधि खाते का अंतरण
- (D) फॉर्म 19 - पेंशन योजना के अधीन आहरण फायदे के लिए दावा

**SS-014** कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68ट (paragraph 68K) के अधीन, जिसका स्थान अब कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 ने ले लिया है, सदस्य की पुत्री के विवाह के लिए या किसी संतान की मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए अग्रिम किस शर्त के अधीन था?

- (A) सात वर्ष की सदस्यता, सदस्य के स्वयं के अंशदान के अंश तथा उस पर ब्याज के 50 प्रतिशत तक, संपूर्ण सदस्यता में तीन बार से अधिक नहीं
- (B) पाँच वर्ष की सदस्यता, 36 माह की मूल मजदूरी तथा महँगाई भत्ते तक, केवल एक बार
- (C) दस वर्ष की सदस्यता, कुल अतिशेष के 75 प्रतिशत तक, दो बार से अधिक नहीं
- (D) कोई न्यूनतम सदस्यता नहीं, छह माह की मूल मजदूरी तथा महँगाई भत्ते तक, कितनी भी बार

**SS-015** मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 83 के अधीन अंतरराष्ट्रीय कर्मकारों (International Workers) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) अंतरराष्ट्रीय कर्मकार के लिए अंशदान केवल प्रति माह रु 15,000 तक की मजदूरी पर संदेय है
- (B) केवल उन देशों के कर्मकार अंतरराष्ट्रीय कर्मकार माने जाते हैं जिनके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार (Social Security Agreement) है
- (C) अंतरराष्ट्रीय कर्मकार को भारत में नियोजन के प्रथम पाँच वर्षों तक अंशदान से छूट प्राप्त है
- (D) अंतरराष्ट्रीय कर्मकार के लिए अंशदान बिना किसी मजदूरी सीमा के पूरी मजदूरी पर संदेय है

**कर्मचारी पेंशन योजना, 1995** 8 प्रश्न**SS-016** सरल

EO/AO 2016 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees' Pension Scheme, 1995) किस तिथि से प्रवृत्त हुई, और उसने किस योजना का स्थान लिया?

- (A) 1 मार्च 1971, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का स्थान लेते हुए
- (B) 1 सितंबर 2014, कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना, 1971 का स्थान लेते हुए
- (C) 1 अप्रैल 1993, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 का स्थान लेते हुए
- (D) 16 नवंबर 1995, कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना, 1971 का स्थान लेते हुए

**SS-017** मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन हकदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मासिक पेंशन का हकदार होने के लिए सदस्य ने कम से कम दस वर्ष की पात्र सेवा (eligible service) की होनी चाहिए। 2. सदस्य 58 वर्ष से आगे 60 वर्ष तक पेंशन आहरित करना आस्थगित कर सकता है और आस्थगन के प्रत्येक वर्ष के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

**SS-018** मध्यम

EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

कोई सदस्य रु 15,000 के पेंशनयोग्य वेतन तथा 26 वर्ष की पेंशनयोग्य सेवा के साथ 58 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता पर निवृत्त होता है। संदेय मासिक पेंशन कितनी होगी?

- (A) रु 5,571
- (B) रु 6,000
- (C) रु 6,428
- (D) रु 7,500

**SS-019** मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

58 वर्ष की आयु पर रु 5,000 की मासिक पेंशन का हकदार कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अगाऊ पेंशन (early pension) लेने का विकल्प चुनता है। आयु के 58 वर्ष से कम पड़ने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए विहित 4 प्रतिशत की कमी लागू करने पर वह कितनी पेंशन आहरित करेगा?

- (A) रु 4,400
- (B) रु 4,600
- (C) रु 4,800
- (D) रु 4,000

**SS-020** मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन पेंशन निधि में केंद्रीय सरकार का अंशदान किस दर से और किस मजदूरी आधार पर है?

- (A) प्रति माह रु 15,000 तक की मजदूरी का 1.16 प्रतिशत
- (B) सदस्य द्वारा वस्तुतः ली गई पूरी मजदूरी का 1.16 प्रतिशत
- (C) प्रति माह रु 15,000 तक की मजदूरी का 8.33 प्रतिशत
- (D) प्रति माह रु 15,000 तक की मजदूरी का 0.50 प्रतिशत

**SS-021** सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन मासिक बाल पेंशन (children pension) दो ज्येष्ठतम जीवित संतानों में से प्रत्येक को मासिक विधवा पेंशन के कितने प्रतिशत पर संदेय है?

- (A) 25 प्रतिशत
- (B) 50 प्रतिशत
- (C) 75 प्रतिशत
- (D) 100 प्रतिशत

**SS-022** कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

22 अगस्त 2014 को अधिसूचित कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पेंशनयोग्य वेतन को 12 माह के स्थान पर निकास की तिथि से ठीक पहले के 60 माह के विस्तार में लिए गए औसत मासिक वेतन के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया। 2. 1 सितंबर 2014 को या उसके पश्चात् प्रति माह रु 15,000 से अधिक वेतन पर जुड़ने वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाते रहे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

**SS-023** कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

4 नवंबर 2022 को विनिश्चित ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार बी. [EPFO v. Sunil Kumar B.] में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या अभिनिर्धारित किया?

- (A) संपूर्ण कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को असंवैधानिक ठहराते हुए अभिखंडित कर दिया गया
- (B) जिन सदस्यों ने सीमा से ऊपर की मजदूरी पर कभी अंशदान नहीं किया था, उन्हें बिना किसी और अंशदान के अपने वास्तविक वेतन पर पेंशन का दावा करने की अनुज्ञा दी गई
- (C) पेंशन के लिए मजदूरी सीमा निर्णय की तिथि से रु 15,000 से बढ़ाकर रु 25,000 कर दी गई
- (D) यह अपेक्षा कि सदस्य सीमा से ऊपर की मजदूरी पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त अंशदान करें, अभिखंडित कर दी गई, और पात्र सदस्यों को उच्चतर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने हेतु एक और अवसर दिया गया

## अनुभाग EN

## सामान्य अंग्रेजी (General English)

60 प्रश्न | 13 प्रकरण | EN-001 - EN-060

## इस अनुभाग के प्रकरण

|                                                                               |                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| त्रुटि पहचान (Spotting Errors)                                                | EN-001 - EN-006 | 6 |
| वाक्य सुधार (Sentence Improvement)                                            | EN-007 - EN-011 | 5 |
| रिक्त स्थान पूर्ति - व्याकरण (Fill in the Blanks - Grammar)                   | EN-012 - EN-015 | 4 |
| कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य (Active and Passive Voice)                           | EN-016 - EN-018 | 3 |
| प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन (Direct and Indirect Speech)                     | EN-019 - EN-021 | 3 |
| वाक्य पुनर्व्यवस्थापन / अनुच्छेद क्रम (Sentence Rearrangement / Para Jumbles) | EN-022 - EN-025 | 4 |
| वर्तनी एवं भ्रामक शब्द (Spelling and Confusable Words)                        | EN-026 - EN-030 | 5 |
| पर्यायवाची शब्द (Synonyms)                                                    | EN-031 - EN-035 | 5 |
| विलोम शब्द (Antonyms)                                                         | EN-036 - EN-040 | 5 |
| मुहावरे एवं वाक्यांश (Idioms and Phrases)                                     | EN-041 - EN-046 | 6 |
| एक शब्द प्रतिस्थापन (One-Word Substitution)                                   | EN-047 - EN-051 | 5 |
| रिक्त स्थान पूर्ति (Cloze Test)                                               | EN-052 - EN-055 | 4 |
| अपठित गद्यांश (Reading Comprehension)                                         | EN-056 - EN-060 | 5 |

## त्रुटि पहचान (Spotting Errors) 6 प्रश्न

EN-001 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित उत्तर: C

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) One of the most important factors (B) that have contributed to the delay (C) are the shortage of trained staff.

- (A) One of the most important factors  
(B) that have contributed to the delay  
(C) are the shortage of trained staff  
(D) No error

**A गलत।** यह भाग सही है। संरचना 'one of the' के बाद बहुवचन संज्ञा आनी चाहिए, अतः 'factors' उचित है। बहुवचन गणनीय संज्ञा से पूर्व उत्तमावस्था 'most important' का प्रयोग भी सही ढंग से किया गया है।

**B गलत।** यह भाग सही है। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम 'that' बहुवचन संज्ञा 'factors' की ओर संकेत करता है, न कि 'one' की ओर, अतः बहुवचन क्रिया 'have contributed' अपने पूर्ववर्ती पद से सही सामंजस्य रखती है।

**C सही।** यहाँ कर्ता-क्रिया सामंजस्य (subject-verb agreement) का उल्लंघन हुआ है। मुख्य उपवाक्य का व्याकरणिक कर्ता एकवचन 'One' है, 'factors' नहीं, अतः क्रिया एकवचन होनी चाहिए: 'is the shortage of trained staff'. बीच में आई बहुवचन संज्ञा केवल पूर्वसर्गीय पदबंध (prepositional phrase) का अंश है और क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकती।

**D गलत।** वाक्य में निश्चित रूप से त्रुटि है, अतः 'No error' नहीं चुना जा सकता। मुख्य क्रिया 'are' कर्ता पदबंध के एकवचन मुख्य पद 'One' से सामंजस्य नहीं रखती।

परीक्षा संकेत: नियम: 'one of the + बहुवचन संज्ञा + संबंधवाचक उपवाक्य' में संबंधवाचक उपवाक्य की क्रिया बहुवचन रहती है, किंतु मुख्य क्रिया एकवचन ही रहती है।

EN-002 सरल

EO/AO 2020 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

उत्तर: A

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) The committee comprises of (B) five members drawn from (C) three different departments.

- (A) The committee comprises of  
(B) five members drawn from  
(C) three different departments  
(D) No error

**A सही।** यह पूर्वसर्ग (preposition) के सहप्रयोग की त्रुटि है। क्रिया 'comprise' का अर्थ स्वयं 'consist of' होता है और इसका प्रयोग बिना पूर्वसर्ग के सकर्मक रूप में होता है: 'The committee comprises five members'. केवल कर्मवाच्य रूप 'is composed of' अथवा 'consists of' के साथ पूर्वसर्ग आता है, और औपचारिक परीक्षा-अंग्रेजी में 'comprised of' को अमानक माना जाता है।

**B गलत।** यह भाग निर्दोष है। भूतकालिक कृदंत 'drawn' 'members' का सही विशेषण-कार्य करता है, और व्यक्तियों के चयन का स्रोत बताने के लिए 'drawn from' मानक सहप्रयोग है।

**C गलत।** यह भाग निर्दोष है। 'Three different departments' शुद्ध रूप से गठित बहुवचन संज्ञा पदबंध है, जिसमें संख्यावाचक शब्द और विशेषण संज्ञा से पूर्व अपने सामान्य क्रम में हैं।

**D गलत।** भाग A में त्रुटि विद्यमान है, अतः 'No error' विकल्प नहीं हो सकता। 'comprises' के बाद आया अनावश्यक पूर्वसर्ग 'of' हटाया जाना चाहिए।

EN-003 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: B

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) Hardly had he entered the hall (B) than the audience stood up (C) to greet him.

- (A) Hardly had he entered the hall  
(B) than the audience stood up  
(C) to greet him  
(D) No error

**A गलत।** यह भाग सही है। जब वाक्य का आरंभ 'Hardly' से होता है तो कर्ता और सहायक क्रिया का व्युत्क्रम (inversion) अनिवार्य होता है, और पूर्ण भूतकाल (past perfect) 'had entered' दो भूतकालिक क्रियाओं में से पहले घटित क्रिया को सही दर्शाता है।

**B सही।** यह सहसंबंधी योजक (correlative conjunction) की त्रुटि है। 'Hardly' तथा 'scarcely' का युग्म 'when' अथवा 'before' के साथ बनता है, 'than' के साथ कभी नहीं। केवल 'No sooner' के साथ 'than' आता है। उपवाक्य इस प्रकार होना चाहिए: 'when the audience stood up'. दोनों युग्मों को मिला देना इस प्रश्न-प्रकार का प्रमुख छलावा है।

**C गलत।** यह भाग सही है। प्रयोजनवाचक क्रियार्थक 'to greet him' यह स्पष्ट करता है कि श्रोतागण क्यों खड़े हुए, और सकर्मक क्रिया के बाद कर्म कारक सर्वनाम 'him' उचित है।

**D गलत।** वाक्य के भाग B में त्रुटि है, अतः 'No error' नहीं चुना जा सकता। सहसंबंधी युग्म गलत है।

परीक्षा संकेत: निश्चित युग्म स्मरण रखें: *Hardly/Scarcely ... when; No sooner ... than.*

**EN-004** सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित उत्तर: B

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) There is no difference (B) between you and I (C) on this issue.

- (A) There is no difference  
(B) between you and I  
(C) on this issue  
(D) No error

**A गलत।** यह भाग सही है। अस्तित्वबोधक 'there' संरचना में क्रिया आगे आने वाली संज्ञा से सामंजस्य रखती है, और एकवचन अगणनीय संज्ञा 'difference' के साथ एकवचन क्रिया 'is' उचित है।

**B सही।** यह सर्वनाम के कारक (pronoun case) की त्रुटि है। 'Between' पूर्वसर्ग (preposition) है, और पूर्वसर्ग से शासित प्रत्येक सर्वनाम कर्म कारक में होना चाहिए। पदबंध इस प्रकार होना चाहिए: 'between you and me'. 'I' कर्ता कारक है और केवल क्रिया के कर्ता के रूप में ही प्रयुक्त हो सकता है; शिष्टाचार की जिस प्रवृत्ति से 'you and I' कहा जाता है, वह यहाँ अनुपयुक्त है।

**C गलत।** यह भाग सही है। किसी मतभेद अथवा अंतर के विषय को दर्शाने के लिए 'on this issue' सामान्य पूर्वसर्ग सहप्रयोग है।

**D गलत।** भाग B में स्पष्ट त्रुटि है, अतः 'No error' गलत है। कर्ता कारक 'I' के स्थान पर कर्म कारक 'me' आना चाहिए।

**EN-005** सरल

EO/AO 2016 में पूछा गया (स्मृति आधारित) उत्तर: A

निम्नलिखित वाक्य के उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है / Identify the part of the sentence that contains an error. (A) He is more cleverer (B) than any other boy (C) in his class.

- (A) He is more cleverer  
(B) than any other boy  
(C) in his class  
(D) No error

**A सही।** यहाँ दोहरी तुलनावस्था (double comparative) है, जो तुलना की अवस्थाओं (degrees of comparison) के नियम का उल्लंघन करती है। कोई विशेषण या तो '-er' प्रत्यय लेता है या तीव्रतासूचक 'more', दोनों कभी नहीं। शुद्ध रूप 'cleverer' अथवा 'more clever' हैं। 'More cleverer' पुनरुक्तिपूर्ण एवं अशुद्ध है।

**B गलत।** यह भाग सही है। जब किसी समूह के एक सदस्य की तुलना उसी समूह के शेष सदस्यों से की जाती है, तो तुलनावचक रूप के साथ 'than any other' आवश्यक होता है, जो कर्ता को तुलना के वर्ग से उचित रूप से पृथक करता है।

**C गलत।** यह भाग सही है। 'In his class' तुलना के समूह को सही ढंग से निर्धारित करता है, और संबंधवाचक विशेषण 'his' एकवचन पुल्लिंग कर्ता 'He' से सामंजस्य रखता है।

**D गलत।** भाग A में तुलना की अवस्था संबंधी स्पष्ट त्रुटि है, अतः 'No error' उत्तर नहीं हो सकता।

## अनुभाग LL

## औद्योगिक संबंध एवं श्रम विधियाँ

70 प्रश्न | 14 प्रकरण | LL-001 - LL-070

## इस अनुभाग के प्रकरण

|                                                                                                       |                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)                                          | LL-001 - LL-008 | 8 |
| ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926)                                                   | LL-009 - LL-014 | 6 |
| औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946)       | LL-015 - LL-018 | 4 |
| औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)                                         | LL-019 - LL-026 | 8 |
| मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)                                                             | LL-027 - LL-031 | 5 |
| न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948)                                                | LL-032 - LL-035 | 4 |
| कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948)                                                           | LL-036 - LL-041 | 6 |
| व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH and Working Conditions Code, 2020)      | LL-042 - LL-046 | 5 |
| संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970) | LL-047 - LL-050 | 4 |
| मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936)                                               | LL-051 - LL-053 | 3 |
| बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965)                                                 | LL-054 - LL-058 | 5 |
| उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972)                                             | LL-059 - LL-063 | 5 |
| प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)                                         | LL-064 - LL-067 | 4 |
| बाल एवं किशोर श्रम तथा बंधित श्रम (Child and Adolescent Labour and Bonded Labour)                     | LL-068 - LL-070 | 3 |

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)** 8 प्रश्न**LL-001** सरलEO/AO 2020 में पूछा गया (स्मृति आधारित) **उत्तर: D**

बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा (1978) में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 2(j) के अधीन उद्योग (industry) क्या है, यह तय करने के लिए एक त्रि-परीक्षण (triple test) प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा उस परीक्षण का भाग नहीं है?

- (A) व्यवस्थित या संगठित क्रियाकलाप
- (B) नियोजक और कर्मचारियों के बीच सहयोग
- (C) मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिकल्पित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण
- (D) लाभ का उद्देश्य अथवा पूंजी का विनियोजन होना

**A गलत।** व्यवस्थित क्रियाकलाप त्रि-परीक्षण का पहला अंग है। सात न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि कोई एकाकी या आकस्मिक कार्य उद्योग नहीं है, किंतु कोई भी संगठित एवं सतत क्रियाकलाप इस अंग की पूर्ति करता है।

**B गलत।** नियोजक और कर्मचारी के बीच सहयोग दूसरा अंग है। संबंध नियोजन (employment) का होना चाहिए; कर्मचारियों के बिना विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत या स्वनियोजित प्रयास इस परिभाषा से बाहर रहता है।

**C गलत।** तीसरा अंग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण है। पहले दो अंगों की पूर्ति हो जाने पर धर्मार्थ, कल्याणकारी और यहाँ तक कि नगरपालिका सेवाएँ भी इसकी परिधि में आ जाती हैं।

**D सही।** न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के माध्यम से पीठ ने अभिव्यक्त रूप से अभिनिर्धारित किया कि लाभ का उद्देश्य, पूंजी विनियोजन तथा वाणिज्यिक स्वरूप की विद्यमानता अप्रासंगिक हैं। यही कारण है कि अस्पताल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और सांविधिक बोर्ड उद्योग माने गए। केवल कठोर अर्थ में प्रभुत्वसंपन्न (sovereign) कार्य तथा कतिपय वृत्तिक या धर्मार्थ उपक्रम ही अपवर्जित रहे।

परीक्षा संकेत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) 21 नवंबर 2025 से प्रभावी रूप से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) में समाहित हो चुका है।

**LL-002** मध्यमअभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित **उत्तर: A**

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 25F के अधीन छँटनी (retrenchment) की पूर्ववर्ती शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कर्मकार को छँटनी के कारण बताते हुए एक मास की लिखित सूचना दी जानी चाहिए, अथवा ऐसी सूचना के बदले मजदूरी दी जानी चाहिए। 2. कर्मकार को निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास के औसत वेतन के बराबर प्रतिकर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

**A सही।** धारा 25F(a) कारण बताते हुए एक मास की लिखित सूचना, अथवा उसके बदले मजदूरी अपेक्षित करती है। धारा 25F(b) निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, या छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए, पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर प्रतिकर अपेक्षित करती है - एक मास का नहीं। धारा 25F(c) अतिरिक्त रूप से विहित रीति से समुचित सरकार को सूचना देना अपेक्षित करती है।

**B गलत।** कथन 2 दर पर भूल करता है। सांविधिक दर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिन का औसत वेतन है; एक मास की मजदूरी तो खंड (a) के अधीन सूचना-वेतन है, जो एक पृथक दायित्व है।

**C गलत।** केवल कथन 1 सही है। प्रतिकर को प्रति वर्ष एक मास मान लेने से वास्तविक सांविधिक दायित्व दुगुना हो जाता है और यही इस धारा का सबसे सामान्य जाल है।

**D गलत।** कथन 1 धारा 25F(a) को यथावत प्रस्तुत करता है। धारा 25F के तीनों खंडों में से किसी का भी अनुपालन न होने पर छँटनी आरंभ से ही शून्य (void ab initio) हो जाती है।

परीक्षा संकेत: धारा 25F केवल उस कर्मकार पर लागू होती है जो कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा में रहा हो।

LL-003 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित उत्तर: C

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 25B के अधीन, खान में भूमिगत नियोजित कर्मकार से भिन्न कोई कर्मकार एक वर्ष की निरंतर सेवा में तब समझा जाता है जब उसने पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मासों में नियोजक के अधीन कम से कम कितने दिन वास्तविक रूप से कार्य किया हो?

- (A) 180 दिन
- (B) 190 दिन
- (C) 240 दिन
- (D) 300 दिन

**A गलत।** 180 दिन का उल्लेख धारा 25B में कहीं नहीं है। छह मास वाला परीक्षण साधारण मामलों में 120 दिन तथा खान में भूमिगत नियोजित कर्मकार के लिए 95 दिन का प्रयोग करता है, जबकि एक वर्ष वाले परीक्षण में अधिक संख्या रखी गई है।

**B गलत।** 190 दिन खान में भूमिगत नियोजित कर्मकार के लिए विहित संख्या है, तथा ऐसी खानों में छह मास वाले परीक्षण के लिए 95 दिन हैं। यह यहाँ का उत्कृष्ट निकट-भ्रम विकल्प है।

**C सही।** धारा 25B(2)(a)(ii) एक वर्ष की निरंतर सेवा तब मानती है जब कर्मकार ने गणना की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मासों में कम से कम 240 दिन वास्तविक रूप से कार्य किया हो। ले-ऑफ के दिन, प्राधिकृत छुट्टी, बारह सप्ताह तक की प्रसूति छुट्टी तथा दुर्घटनाजनित अनुपस्थिति भी गिनी जाती है। 240 दिन पार करने पर ही धारा 25F का संरक्षण उपलब्ध होता है।

**D गलत।** 300 दिन का धारा 25B में कोई स्थान नहीं है। यह वास्तविक 240-दिन नियम के निकट विश्वसनीय दिखने के लिए गढ़ी गई संख्या है।

परीक्षा संकेत: इसके तत्स्थानी उपबंध औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) की धारा 2(t) तथा निरंतर सेवा संबंधी नियम हैं।

LL-004 मध्यम

EO/AO 2016 में पूछा गया (स्मृति आधारित) उत्तर: C

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 22 के अधीन, किसी लोक उपयोगिता सेवा (public utility service) में नियोजित कोई व्यक्ति संविदा भंग करते हुए हड़ताल पर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह हड़ताल से कितने सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना न दे दे?

- (A) दो सप्ताह
- (B) चार सप्ताह
- (C) छह सप्ताह
- (D) आठ सप्ताह

**A गलत।** दो सप्ताह वस्तुतः सूचना की तामील के पश्चात की चौदह दिन की प्रतीक्षा अवधि से मेल खाते हैं, जिसके भीतर हड़ताल आरंभ नहीं की जा सकती। यह वह बाह्य सीमा नहीं है जिसके भीतर सूचना दी जानी है।

**B गलत।** चार सप्ताह धारा 22 के किसी खंड में नहीं आते। इसे चौदह दिन और छह सप्ताह के बीच इसलिए रखा गया है ताकि अधूरा स्मरण रखने वाले अभ्यर्थी आकृष्ट हों।

**C सही।** धारा 22(1)(a) हड़ताल से छह सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना दिया जाना अपेक्षित करती है। खंड (b) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर हड़ताल का प्रतिषेध करता है, खंड (c) सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख की समाप्ति से पूर्व हड़ताल का प्रतिषेध करता है, तथा खंड (d) सुलह कार्यवाहियों के दौरान और उनकी समाप्ति के सात दिन बाद तक हड़ताल का प्रतिषेध करता है। तालाबंदी के लिए नियोजक पर भी यही शर्तें आबद्ध हैं।

**D गलत।** आठ सप्ताह अधिनियम में नहीं हैं। धारा 22(6) के अधीन नियोजक को हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्ति के पाँच दिन के भीतर समुचित सरकार को उसकी रिपोर्ट देनी होती है।

परीक्षा संकेत: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) चौदह दिन की हड़ताल सूचना को केवल लोक उपयोगिता सेवाओं तक सीमित न रखकर प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान तक विस्तारित करती है।

LL-005 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: A

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची-I (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन प्राधिकारी): (a) कार्य समिति (Works Committee) (b) सुलह अधिकारी (Conciliation Officers) (c) सुलह बोर्ड (Board of Conciliation) (d) जाँच न्यायालय (Court of Inquiry). सूची-II (धारा): 1. धारा 4 2. धारा 6 3. धारा 3 4. धारा 5

- (A) (a)-3, (b)-1, (c)-4, (d)-2  
 (B) (a)-3, (b)-4, (c)-1, (d)-2  
 (C) (a)-1, (b)-3, (c)-2, (d)-4  
 (D) (a)-4, (b)-1, (c)-3, (d)-2

**A सही।** धारा 3 ऐसे प्रतिष्ठान में कार्य समिति का उपबंध करती है जिसमें 100 या अधिक कर्मकार नियोजित हों, जिसमें नियोजक और कर्मकारों का समान प्रतिनिधित्व होता है। धारा 4 सुलह अधिकारियों का, धारा 5 एक अध्यक्ष तथा दो या चार सदस्यों वाले सुलह बोर्ड का, और धारा 6 औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी विषय की जाँच हेतु जाँच न्यायालय का उपबंध करती है।

**B गलत।** यह युग्मन सुलह बोर्ड और सुलह अधिकारी को आपस में बदल देता है। बोर्ड धारा 5 के अधीन तदर्थ रूप से गठित त्रिपक्षीय निकाय है, जबकि धारा 4 के अधीन सुलह अधिकारी स्थायी नियुक्तियाँ हैं।

**C गलत।** यह कार्य समिति को धारा 4 के अधीन तथा बोर्ड को धारा 6 के अधीन रखता है। धारा 6 वस्तुतः जाँच न्यायालय से संबंधित है, जो केवल जाँच कर रिपोर्ट देता है और न्यायनिर्णयन नहीं करता।

**D गलत।** यह कार्य समिति को धारा 5 के अधीन रखता है। धारा 3 से 6 नहीं, अपितु धारा 7, 7A और 7B क्रमशः श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण से संबंधित हैं।

परीक्षा संकेत: जाँच न्यायालय छह मास के भीतर सरकार को रिपोर्ट देता है; उसकी रिपोर्ट पंचाट नहीं है और आबद्धकर नहीं है।

LL-006 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: C

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) के अध्याय 5ख (Chapter VB) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह ऐसे गैर-मौसमी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों में प्रति कार्य दिवस औसतन कम से कम एक सौ कर्मकार नियोजित रहे हों। 2. धारा 25N के अधीन ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मकार की छुट्टी तीन मास की सूचना या उसके बदले मजदूरी तथा समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1  
 (B) केवल 2  
 (C) 1 और 2 दोनों  
 (D) न तो 1 और न ही 2

**A गलत।** कथन 2 भी सही है। धारा 25N(1) तीन मास की सूचना या उसके बदले वेतन के साथ-साथ समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन कर पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित करती है।

**B गलत।** कथन 1 भी उतना ही सही है। धारा 25K मौसमी प्रतिष्ठानों को छोड़कर, पूर्ववर्ती बारह मासों में प्रति कार्य दिवस औसतन एक सौ या अधिक कर्मकारों की सीमा नियत करती है।

**C सही।** धारा 25K कारखानों, खानों और बागानों के लिए एक सौ कर्मकारों की सीमा नियत करती है, तथा धारा 25N छुट्टी के लिए तीन मास की सूचना और पूर्व अनुमति अधिरोपित करती है। धारा 25M ले-ऑफ के लिए पूर्व अनुमति तथा धारा 25-O बंदी के लिए नब्बे दिन की सूचना और पूर्व अनुमति अपेक्षित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के अधीन इस अध्याय की सीमा बढ़ाकर 300 कर्मकार कर दी गई है।

**D गलत।** दोनों कथन संविधि को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 5ख अधिनियम का सबसे कठोर भाग है और परीक्षा का प्रिय क्षेत्र बना हुआ है।

परीक्षा संकेत: अध्याय 5क (Chapter VA) के अधीन ले-ऑफ प्रतिकर एक वर्ष में पैंतालीस दिन तक के लिए मूल मजदूरी और महंगाई भत्ते का 50% होता है।

## LL-007 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: B

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 2A यह उपबंध करती है कि -

- (A) कर्मकारों के समूह द्वारा उठाया गया मजदूरी संबंधी कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद है, चाहे नियोजक दायित्व से इनकार करे
- (B) किसी व्यक्ति कर्मकार की सेवा से हटाए जाने, पदच्युति, छँटनी या सेवा-समाप्ति से संबंधित विवाद औद्योगिक विवाद समझा जाता है, भले ही कोई अन्य कर्मकार या संघ उसका पक्षकार न हो
- (C) कोई व्यक्ति कर्मकार सुलह के बिना सीधे औद्योगिक अधिकरण के समक्ष बोनस का दावा कर सकता है
- (D) अवचार के लिए पदच्युत किए गए कर्मकार को उसके विवाद के न्यायनिर्णयन तक बहाल किया जाना चाहिए

**A गलत।** सामूहिक मजदूरी मांग तो धारा 2(k) के अधीन सदैव से औद्योगिक विवाद रही है। धारा 2A को 1965 में ठीक इसीलिए अंतःस्थापित किया गया क्योंकि सामूहिक नहीं, अपितु व्यक्ति विवाद संघ द्वारा समर्थन (espousal) की अपेक्षा पर विफल हो रहे थे।

**B सही।** 1965 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित धारा 2A किसी व्यक्ति कर्मकार की सेवा से हटाए जाने, पदच्युति, छँटनी या सेवा-समाप्ति संबंधी विवाद को, किसी संघ या कर्मकार-समूह के समर्थन के बिना भी, औद्योगिक विवाद मानती है। वर्ष 2010 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई उपधारा (2) और (3) ऐसे कर्मकार को सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन के पैंतालीस दिन पश्चात सीधे श्रम न्यायालय या अधिकरण में आवेदन करने की अनुमति देती हैं, जो तीन वर्ष की परिसीमा के अधीन है।

**C गलत।** बोनस संबंधी दावे धारा 2A के अंतर्गत नहीं आते, जो केवल सेवा-समाप्ति तक सीमित है। बोनस विवाद तृतीय अनुसूची में आते हैं और सामान्य रीति से औद्योगिक अधिकरण के समक्ष जाते हैं।

**D गलत।** अंतरिम बहाली स्वतः नहीं होती। धारा 33 कार्यवाही लंबित रहने के दौरान सेवा शर्तों में परिवर्तन को विनियमित करती है और धारा 33C शोध धन की वसूली का उपबंध करती है, किंतु इनमें से कोई भी न्यायनिर्णयन तक बहाली अनिवार्य नहीं करती।

परीक्षा संकेत: धारा 2A का सार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) की धारा 2(q) के परंतुक तथा धारा 53 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

## LL-008 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: C

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची-I (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन परिभाषा): (a) ले-ऑफ (lay-off) (b) छँटनी (retrenchment) (c) तालाबंदी (lock-out) (d) बंदी (closure). सूची-II (खंड): 1. धारा 2(cc) 2. धारा 2(l) 3. धारा 2(kkk) 4. धारा 2(oo)

- (A) (a)-4, (b)-3, (c)-2, (d)-1
- (B) (a)-3, (b)-4, (c)-1, (d)-2
- (C) (a)-3, (b)-4, (c)-2, (d)-1
- (D) (a)-4, (b)-3, (c)-1, (d)-2

**A गलत।** यह ले-ऑफ और छँटनी को आपस में बदल देता है। ले-ऑफ का अर्थ है नियोजक द्वारा कोयला, विद्युत या कच्चे माल की कमी जैसे कारणों से नियोजन देने में असफल रहना या इनकार करना, जबकि कर्मकार हाजिरी-पंजी (muster roll) पर बना रहता है।

**B गलत।** यहाँ तालाबंदी और बंदी के खंड आपस में बदल गए हैं। तालाबंदी धारा 2(l) में नियोजन के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करने या नियोजन जारी रखने से इनकार करने के रूप में परिभाषित है, और बंदी धारा 2(cc) में।

**C सही।** ले-ऑफ धारा 2(kkk) में, छँटनी धारा 2(oo) में, तालाबंदी धारा 2(l) में तथा बंदी धारा 2(cc) में है। छँटनी का अर्थ है अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा दंड के अतिरिक्त किसी भी कारण से सेवा-समाप्ति, और इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, संविदा का नवीकरण न होना तथा निरंतर अस्वस्थता के आधार पर सेवा-समाप्ति अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित हैं।

**D गलत।** दोनों युग्म गलत हैं। यह भी ध्यान रखें कि हड़ताल धारा 2(q) में और औद्योगिक विवाद धारा 2(k) में परिभाषित है।

परीक्षा संकेत: ले-ऑफ अस्थायी है और नियोजन संबंध बना रहता है; छँटनी और बंदी उसे समाप्त कर देती हैं।

## अनुभाग SS

## भारत में सामाजिक सुरक्षा

70 प्रश्न | 12 प्रकरण | SS-001 - SS-070

## इस अनुभाग के प्रकरण

|                                                                                                                 |                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 - विस्तार एवं परिभाषाएँ                                   | SS-001 - SS-007 | 7 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952                                                                                | SS-008 - SS-015 | 8 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995                                                                                      | SS-016 - SS-023 | 8 |
| कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976                                                                            | SS-024 - SS-027 | 4 |
| ईपीएफओ का संगठन एवं प्रशासन                                                                                     | SS-028 - SS-032 | 5 |
| ईपीएफ अनुपालन, निरीक्षण एवं शास्तियाँ                                                                           | SS-033 - SS-035 | 3 |
| कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948)                                        | SS-036 - SS-042 | 7 |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)                                                    | SS-043 - SS-050 | 8 |
| कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (Employees' Compensation Act, 1923)                                              | SS-051 - SS-053 | 3 |
| असंगठित एवं गिग कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा (Unorganised and Gig Workers' Social Security)                      | SS-054 - SS-058 | 5 |
| राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएँ (National Social Security and Pension Schemes)                      | SS-059 - SS-064 | 6 |
| सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाएँ एवं अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा (Concepts and International Framework of Social Security) | SS-065 - SS-070 | 6 |

## कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 - विस्तार एवं परिभाषाएँ 7 प्रश्न

SS-001 सरल

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: B

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) (1952 का अधिनियम 19) को राष्ट्रपति की अनुमति किस तिथि को प्राप्त हुई थी?

- (A) 15 नवंबर 1951  
(B) 4 मार्च 1952  
(C) 1 नवंबर 1952  
(D) 16 नवंबर 1995

**A गलत।** 15 नवंबर 1951 कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, 1951 (Employees' Provident Funds Ordinance, 1951) की तिथि है, जिसका स्थान आगे चलकर इस अधिनियम ने लिया। यह अध्यादेश इस संविधि का तात्कालिक पूर्ववर्ती है, इसलिए यह विकल्पों में सबसे आकर्षक भ्रामक विकल्प है।

**B सही।** यह अधिनियम, जिसका मूल नाम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 था, राष्ट्रपति की अनुमति 4 मार्च 1952 को प्राप्त हुई। इसने 15 नवंबर 1951 के अध्यादेश (Ordinance) का स्थान लिया और नाम में 'प्रकीर्ण उपबंध' (Miscellaneous Provisions) शब्द 1988 में जोड़े गए। धारा 1(2) उपबंधित करती है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

**C गलत।** 1 नवंबर 1952 वह तिथि है जिसे धारा 5 के अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (Employees' Provident Funds Scheme, 1952) प्रथम छह अधिसूचित उद्योगों में प्रवृत्त हुई। यह योजना के प्रारंभ की तिथि है, अधिनियम को अनुमति मिलने की नहीं।

**D गलत।** 16 नवंबर 1995 वह तिथि है जब धारा 6A (Section 6A) के अधीन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees' Pension Scheme, 1995) प्रवृत्त हुई और उसने कुटुंब पेंशन योजना, 1971 का स्थान लिया। इसका मूल अधिनियम के अधिनियमन से कोई संबंध नहीं है।

परीक्षा संकेत: यह अधिनियम अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के अध्याय 3 में समाविष्ट हो चुका है, जो 21 नवंबर 2025 को प्रवृत्त हुई।

## SS-002 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: D

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF and MP Act, 1952) की धारा 1(4) के अधीन, 20 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान (establishment) को स्वेच्छया इस अधिनियम के अधीन कौन ला सकता है?

- (A) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की सिफारिश पर
- (B) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional Provident Fund Commissioner), केवल नियोजक के आवेदन पर
- (C) केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees), अपनी बैठक में पारित संकल्प द्वारा
- (D) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Central Provident Fund Commissioner), नियोजक तथा कर्मचारियों के बहुमत के संयुक्त आवेदन पर

**A गलत।** धारा 1(4) के अधीन स्वेच्छिक कवरेज में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्रीय सरकार की शक्ति धारा 1(3)(ख) के अधीन है, जिसके द्वारा वह राजपत्र अधिसूचना (Gazette notification) से 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के अन्य वर्गों को अधिसूचित कर सकती है।

**B गलत।** इसमें दो त्रुटियाँ हैं। सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नहीं, और आवेदन संयुक्त होना चाहिए जिसमें कर्मचारियों के बहुमत की सहमति दर्शित हो, न कि नियोजक का एकपक्षीय अनुरोध।

**C गलत।** केंद्रीय न्यासी बोर्ड धारा 5क (Section 5A) के अधीन नीति और निधि-प्रबंधन का निकाय है। वह अधिनियम का विस्तार अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर नहीं करता; कवरेज अधिसूचना का सांविधिक कार्य है, बोर्ड का संकल्प नहीं।

**D सही।** धारा 1(4) स्वेच्छिक कवरेज की अनुज्ञा वहाँ देती है जहाँ नियोजक तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात पर सहमत हों कि अधिनियम लागू होना चाहिए। ऐसे संयुक्त आवेदन पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, करार की तिथि से या उसमें विनिर्दिष्ट किसी पश्चातवर्ती तिथि से, अधिनियम लागू कर सकता है। इस प्रकार 20 कर्मचारियों की सीमा अधित्यक्त हो जाती है।

परीक्षा संकेत: धारा 1(4) का कवरेज सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1(5) में पुनः कथित है।

## SS-003 मध्यम

EO/AO 2023 में पूछा गया (स्मृति आधारित)

उत्तर: C

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF and MP Act, 1952) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक बार अधिनियम किसी प्रतिष्ठान पर लागू हो जाने पर वह लागू बना रहता है, भले ही कर्मचारियों की संख्या बाद में बीस से नीचे गिर जाए। 2. यह अधिनियम पचास से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली और शक्ति की सहायता के बिना कार्य करने वाली सहकारी समिति पर लागू नहीं होता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

**A गलत।** कथन 1 सही है किंतु कथन 2 भी उतना ही सही है। सहकारी समिति संबंधी अपवर्जन धारा 16(1)(क) में वास्तविक सांविधिक अपवाद है, कोई कल्पना नहीं।

**B गलत।** कथन 2 सही है किंतु कथन 1 भी सही है। धारा 1(5) अधिनियम की सर्वाधिक ज्ञात विशेषताओं में से एक है और बार-बार पूछी जाती है।

**C सही।** धारा 1(5) उपबंधित करती है कि जिस प्रतिष्ठान पर अधिनियम लागू हो गया है वह इस बात के होते हुए भी अधिनियम द्वारा शासित बना रहेगा कि उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से नीचे गिर जाती है। धारा 16(1)(क) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (Co-operative Societies Act, 1912) या तत्संबंधी राज्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे प्रतिष्ठान को अपवर्जित करती है जो पचास से कम व्यक्तियों को नियोजित करता है और शक्ति की सहायता के बिना कार्य करता है। दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए।

**D गलत।** दोनों कथन संविधि को सही-सही प्रस्तुत करते हैं। दोनों को अस्वीकार करना वह प्रतिष्ठित अति-सुधार है जो तब होता है जब अभ्यर्थी धारा 16 को धारा 17 की छूट-शक्ति से भ्रमित कर देता है।

परीक्षा संकेत: धारा 16 उन केंद्रीय या राज्य नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों को भी अपवर्जित करती है जिनके कर्मचारियों को पहले से ही अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के फायदे प्राप्त हैं।

## SS-004 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: D

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2(ख) (Section 2(b)) में दी गई 'मूल मजदूरी' (basic wages) की परिभाषा से निम्नलिखित में से कौन-सा अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित नहीं है?

- (A) किसी खाद्य रियायत का नकद मूल्य
- (B) मकान किराया भत्ता (house rent allowance)
- (C) अधिसमय भत्ता (overtime allowance)
- (D) प्रतिधारण भत्ता (retaining allowance)

**A गलत।** किसी खाद्य रियायत का नकद मूल्य धारा 2(ख)(i) द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित पहली मद है। अतः यह अंशदान की संगणना के प्रयोजन से मूल मजदूरी का भाग नहीं है।

**B गलत।** मकान किराया भत्ता धारा 2(ख)(ii) की अपवर्जन सूची में महँगाई भत्ता, अधिसमय भत्ता, बोनस और कमीशन के साथ नामित है। यह परिभाषित मूल मजदूरी से अपवर्जित है।

**C गलत।** अधिसमय भत्ता धारा 2(ख)(ii) द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित है। जो संदाय सामान्य कर्तव्य घंटों से परे अतिरिक्त कार्य पर निर्भर करते हैं, उन्हें लगातार मूल मजदूरी से बाहर माना गया है।

**D सही।** प्रतिधारण भत्ता धारा 2(ख) की अपवर्जन सूची में नहीं है। इसके विपरीत, धारा 6 अंशदान का आधार 'मूल मजदूरी, महँगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता' रखती है, अतः प्रतिधारण भत्ता आधार में पुनः जोड़ दिया जाता है। धारा 2(खख) पृथक् रूप से प्रतिधारण भत्ते को उस भत्ते के रूप में परिभाषित करती है जो कर्मचारी की सेवाएँ बनाए रखने के लिए उस अवधि में दिया जाता है जब प्रतिष्ठान कार्य नहीं कर रहा हो।

परीक्षा संकेत: महँगाई भत्ता धारा 2(ख) द्वारा अपवर्जित है किंतु धारा 6 द्वारा आधार में पुनः सम्मिलित कर दिया जाता है - यह एक प्रिय भ्रमजाल है।

## SS-005 कठिन

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: D

आरपीएफसी (द्वितीय), पश्चिम बंगाल बनाम विवेकानंद विद्यामंदिर तथा सूर्या रोशनी लिमिटेड बनाम ईपीएफओ (2019) [RPFC (II), West Bengal v. Vivekananda Vidyamandir and Surya Roshni Ltd v. EPFO (2019)] में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित करने के लिए कौन-सी कसौटी निर्धारित की कि कोई विशेष भत्ता मूल मजदूरी का भाग है या नहीं?

- (A) क्या वह भत्ता कर्मचारी को संदत्त कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक है
- (B) क्या वह भत्ता रु 15,000 की सांविधिक सीमा से नीचे मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है
- (C) क्या वह भत्ता मजदूरी पर्वी और नियुक्ति पत्र में पृथक् रूप से दर्शाया गया है
- (D) क्या वह भत्ता सार्वभौमिक रूप से, अनिवार्यतः और मामूली तौर पर सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाता है

**A गलत।** अपवर्जित भत्तों पर 50% की उच्चतम सीमा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) तथा अन्य श्रम संहिताओं में 'मजदूरी' की एकसमान परिभाषा की विशेषता है। यह 2019 के निर्णय में न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कसौटी नहीं थी।

**B गलत।** रु 15,000 की मजदूरी सीमा उस राशि को शासित करती है जिस पर अंशदान देना है, न कि किसी भत्ते के स्वरूप को। 2019 की कसौटी संबद्ध कर्मचारी के मजदूरी स्तर पर ध्यान दिए बिना लागू होती है।

**C गलत।** वेतन संरचना में नामकरण या प्रस्तुतीकरण की रीति अप्रासंगिक है। न्यायालय ने अभिव्यक्त रूप से नियोजक द्वारा प्रयुक्त नाम के बजाय संदाय के सारतत्त्व को देखा।

**D सही।** उच्चतम न्यायालय ने 28 फरवरी 2019 को अभिनिर्धारित किया कि कसौटी यह है कि क्या वह भत्ता सार्वभौमिक रूप से, अनिवार्यतः और मामूली तौर पर सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाता है। यदि हाँ, तो वह मूल मजदूरी का प्रच्छन्न भाग है और उस पर अंशदान देय है। केवल वे भत्ते मूल मजदूरी से बाहर आते हैं जो अतिरिक्त उत्पादन, प्रोत्साहन या कुछ कर्मचारियों तक सीमित किसी परिवर्ती कारक से जुड़े हों, और इसे साबित करने का भार नियोजक पर है।

परीक्षा संकेत: इस निर्णय ने उन नियोजकों पर बड़े पैमाने पर धारा 7क (Section 7A) की निर्धारण कार्यवाहियाँ आरंभ करा दीं जिन्होंने मजदूरी को विशेष भत्तों में विभाजित कर रखा था।

SS-006 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: A

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2(च) (Section 2(f)) में 'कर्मचारी' (employee) की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जो प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके संबंध में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित है। 2. यह प्रत्येक शिक्षु (apprentice) को अपवर्जित करती है, चाहे वह शिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentices Act, 1961) के अधीन लगा हो या प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों के अधीन। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1  
(B) केवल 2  
(C) 1 और 2 दोनों  
(D) न तो 1 और न ही 2

**A सही।** धारा 2(च) में वह प्रत्येक व्यक्ति आता है जो प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, चाहे वह शारीरिक हो या अन्यथा, मजदूरी पर नियोजित है और जिसे नियोजक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी मिलती है, तथा इसमें ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित व्यक्ति अभिव्यक्त रूप से सम्मिलित है। कथन 2 गलत है क्योंकि अपवर्जन संकीर्ण है: केवल वही शिक्षु परिभाषा से बाहर है जो शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन या स्थायी आदेशों के अधीन लगा हो; अन्य प्रशिक्षु और शिक्षु कर्मचारी ही हैं।

**B गलत।** कथन 2 अपवर्जन को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है। यह धारा प्रत्येक शिक्षु को अपवर्जित नहीं करती; वह केवल उन्हें अपवर्जित करती है जो शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन या प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों के अधीन लगे हों।

**C गलत।** केवल कथन 1 सही है। सभी शिक्षुओं को अपवर्जित मान लेना एक सामान्य त्रुटि है और इससे तथाकथित प्रशिक्षुओं के, जो वस्तुतः कर्मचारी थे, संबंध में धारा 7क के अधीन बार-बार वाद उत्पन्न हुए हैं।

**D गलत।** कथन 1 धारा 2(च) के समावेशी भाग का सीधा पुनरुत्पादन है। प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके संबंध में लगाया गया संविदा श्रम पूरी तरह आच्छादित है, और उनके अंशदान के लिए प्रधान नियोजक उत्तरदायी है।

परीक्षा संकेत: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(26) कर्मचारी की सारतः यही परिभाषा आगे ले जाती है।

SS-007 मध्यम

अभ्यास - पाठ्यक्रम आधारित

उत्तर: B

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6 अधिसूचना द्वारा वृद्धि से पूर्व नियोजक के अंशदान की सांविधिक दर किस अंक पर नियत करती है?

- (A) 8.33 प्रतिशत  
(B) 10 प्रतिशत  
(C) 12 प्रतिशत  
(D) 6.25 प्रतिशत

**A गलत।** 8.33 प्रतिशत धारा 6 के अधीन अंशदान की दर है ही नहीं। यह नियोजक के अंश का वह भाग है जो धारा 6क (Section 6A) के अधीन भविष्य निधि से हटाकर कर्मचारी पेंशन योजना में भेजा जाता है, जो रु 15,000 की सीमा मजदूरी पर रु 1,250 तक सीमित है।

**B सही।** धारा 6 मूल मजदूरी, महँगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ता के दस प्रतिशत की दर से अंशदान विहित करती है, और इसके परंतुक द्वारा केंद्रीय सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए दस प्रतिशत के स्थान पर बारह प्रतिशत रख दे। अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिए बारह प्रतिशत अधिसूचित है, किंतु दस प्रतिशत अब भी विनिर्दिष्ट वर्गों पर लागू है, जैसे बीस से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान, रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ तथा बीड़ी, ईट, जूट, कॉयूर और ग्वार गम उद्योग।

**C गलत।** बारह प्रतिशत वह बढ़ी हुई दर है जो अब अधिकांश प्रतिष्ठानों पर लागू है, किंतु वह धारा 6 के परंतुक और अधिसूचना के माध्यम से प्रवर्तित होती है। धारा के मुख्य भाग में लिखी दर दस प्रतिशत ही है।

**D गलत।** 6.25 प्रतिशत इस अधिनियम के अधीन कभी भी अंशदान की दर नहीं रही। यह प्रशंसनीय दिखने वाला किंतु गढ़ा हुआ अंक है, जो उन अभ्यर्थियों को फँसाने के लिए है जिन्हें केवल इतना स्मरण है कि दर कभी 12 प्रतिशत से कम थी।

परीक्षा संकेत: कर्मचारी का अंशदान नियोजक के अंशदान के बराबर होना चाहिए; कर्मचारी स्वेच्छया अधिक अंशदान कर सकता है, किंतु नियोजक उसकी बराबरी करने के लिए आबद्ध नहीं है।

# This was a free sample.

The complete set has 590 questions across 10 subjects, and a Solutions Manual that explains all four options of every question (2,360 explanations).

Book 1 - The Complete Question Bank (130 pages)

Book 2 - The Complete Solutions Manual (306 pages)

**Price for both books: Rs 179 (Hindi edition)**

PDFs are emailed to you within minutes of purchase, watermarked to your email.

**Buy at: [studymf.org/pdfs.html](https://studymf.org/pdfs.html)**

**Exam page: [studymf.org/epfo/](https://studymf.org/epfo/)**

**StudyForGS.com**

Independent study material for EO/AO and APFC aspirants. Not an official UPSC or EPFO publication.